

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 21.07.25

रीडर/2025/6251

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

समसुदीन पुत्र  
हाजीसता जाति  
मुसलमान निवासी मलवा  
तहसील व जिला  
बाड़मेर।

1 अलाना पुत्र सिद्धा खान के कायम मुकाम 1/1 उमरा  
खान 1/2 बरकत अली पिसरान अलाना खान 1/3  
मोहनत पत्नी अलाना खान 2 लोंगा खान पुत्र अहमद खान  
3 जामीन खां 4 मोमन खां पिसरान अहमदखां 5 ईसाक  
खां 6 सबोज खां 7 एहसाल खां पिसरान सरदारा खां 8  
बसीर खां 9 नसीर खां 10 मोहिब खां 11 ईस्माईल  
पिसरान कासम खां जाति मुसलमान निवासी अबड़ासर  
तहसील व जिला बाड़मेर 12 तहसीलदार बाड़मेर।


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 19/2022

दिनांक-

08/07/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण\_मौजा अबड़ासर पटवार क्षेत्र दूदाबेरी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या  
44, 57, 241/107 व मौजा मलवा के खसरा संख्या 257/107 के खेतों की पक्की नेखमबन्दी करने हेतु  
माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में डीबी स्पेशल अपील रिट संख्या 359/2022 अनवान लोंगाखान वगैराह  
बनाम राजस्थान सरकार वगैराह आदेश दिनांक 07.01.2025 की पालना करते हुए उक्त भूमि के चारो तरफ  
पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर  
निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक  
निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व  
विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। पुलिस उप अधीक्षक वृत्त बाड़मेर को  
निर्देशित किया जाता है कि वे तहसीलदार बाड़मेर की आवश्यकतानुसार निर्धारित तिथि को पर्याप्त पुलिस  
जाब्ता की उपस्थिति में शान्ति व्यवस्था के साथ उक्त कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। कमीश्नर फीस  
1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की  
जायेगी।



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/6252-56

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक-

21.07.25

1. पुलिस उप अधीक्षक वृत्त बाड़मेर।
2. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
3. पटवारी दूदाबेरी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड  
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी समसुदीन पुत्र हाजीसता जाति मुसलमान निवासी मलवा तहसील व जिला बाड़मेर।
5. विप्रार्थी उमरा खान पुत्र अलाना वगैराह निवासी अबड़ासर तहसील व जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर  
उप खण्ड अधिकारी